

# आधार कार्ड की सीडिंग शत प्रतिशत हुई : चौबे

प्रमुख संवाददाता ▶ टांची

राज्य में शत प्रतिशत उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग कर ली गयी है, केवल 19 हजार अंतिम जनजातियों की आधार सीडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसका भी इन्टरैक्ट कर दिया गया है, जल्द ही इसकी भी आधार सीडिंग हो जायेगी. यह जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दी. श्री चौबे ने सरकार के 1000 दिनों में हुए विभाग की उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत कराया.

श्री चौबे ने कहा कि राज्य में खाद्यान्न का वितरण 97 हजार एमटी से बढ़ कर 1.45 लाख एमटी हो गया है. उन्होंने बताया कि राशन डीलरों का कमीशन 26 फीस से बढ़ा कर एक रुपये प्रति किलो कर दिया गया है, पहले 35 लाख बीपीएल परिवार को मुफ्त नमक दे रहे थे, अब 56 लाख परिवार को डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण किया जा रहा है.



सचिव विनयकुमार चौबे.

उज्ज्वला में आठ लाख परिवारों को लाभ दिया

उज्ज्वला योजना के तहत कुल आठ लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है. कुल 26 लाख लोगों को इससे लाभान्वित करना है. यह काम मार्च 2018 तक कर लिया जाएगा.

योजनाएं केवल झारखंड में ही चालू की

गयी : सचिव ने बताया कि जुलाई माह से झारखंड में केरोसिन वितरण की प्रक्रिया में डीबीटी शुरू की गयी है. यानी सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाता में सीधे जायेगी, इसके साथ ही पीटीजी डिकिया योजना शुरू की गयी. इस के तहत 80 हजार आदिम जनजातिय परिवारों को घर में पहुंचा कर 35 किलो अनाज दिया जा रहा है.

नगड़ी से शुरू होगा खाद्यान्न का

डीबीटी : नगड़ी प्रखंड क्षेत्र का पहला प्रखंड होगा, जहां एक अक्टूबर से खाद्यान्न में डीबीटी चालू किया जायेगा. बाजार दर से उपभोक्ता राशन डीलर से चावल खरीदेगी और उन्हें सब्सिडी का पैसा खाता में मिल जायेगा. उपभोक्ताओं के लिए खाता में सब्सिडी की राशि एडवॉंस में रख दी जायेगी.

225 करोड़ की बचत हुई

उन्होंने बताया कि कार्ड शुद्धिकरण व इ-पॉस के वितरण से 72 हजार एमटी खाद्यान्न की बचत हुई है. इससे केंद्र व राज्य सरकार को करीब 225 करोड़ रुपये की बचत हुई है. यह आंकड़ा अगस्त माह की है.

धान अधिप्राप्ति में 50 फीसदी सफल रहे

धान अधिप्राप्ति मामले में विभाग ने मात्र 50 फीसदी ही उपलब्धि हासिल की है. सचिव ने बताया कि कर्मियों को चिह्नित कर लिया गया है. अब उसे दूर किया जा रहा है. चार लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल दो लाख ही धान की अधिप्राप्ति की जा सकी. सचिव ने कहा कि चावल मिला, ट्रांसपॉर्टेशन व गोदामों की क्षमता सहित कई कारण फेल होने के रहे हैं.

जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर

सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 0651-7122723, +918969583111 जारी किया गया है, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती है. वहीं, धान अधिप्राप्ति के लिए बोनस भुगतान योजना के तहत किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1470 रुपये के अतिरिक्त 130 रुपये प्रति बिट्टल बोनस दिया जा रहा है.